पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2019/..67(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्रचार्य
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान गया, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 5/2/2020

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0001-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹77,95,000.00 (सतहत्तर लाख पिचानवें हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आंवटित राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी प्रचार्य** होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेगें।

4. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

5/02/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/67(स्था०) पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

5/02/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/67 पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवंविभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

5/02/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतनादि					
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग (4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	800000.00	140000.00	70000.00	35000.00	5000.00	1050000.00
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	1700000.00	150000.00	115000.00	35000.00	10000.00	2010000.00
3	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	500000.00	85000.00	40000.00	20000.00	5000.00	650000.00
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	700000.00	125000.00	60000.00	10000.00	10000.00	905000.00
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णियाँ	1000000.00	175000.00	80000.00	40000.00	10000.00	1305000.00
6	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुगेंर	1500000.00	255000.00	50000.00	20000.00	50000.00	1875000.00
	कुल योग		6200000.00	930000.00	415000.00	160000.00	90000.00	7795000.00

सतहत्तर लाख पिचानवें हजार रूपये मात्र।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी